

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनोज, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 264/2023 GCMS 2023/435

वादी :-

1. करणसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला-डीडवाना कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण:-


1. गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
2. मधुकंवर पुत्री भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
3. यशोदा कंवर पत्नी भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
4. योगेन्द्र सिंह पुत्र भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
5. युवराजसिंह राठौड पुत्र भैरुसिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती वली माता यशोदा कंवर निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
6. शंकरसिंह पुत्र पेहपसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
7. शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
8. सायर कंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
अमरसिंह पुत्र धुंकलसिंह जाति राजपूत फौत के विधिक वारिस
9. फतेहसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन।
दावा बाबत बंटवारा होल्लिंडंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955
उपस्थित :- श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री शत्रुघन गौड़ अधिवक्ता प्रति. सं. 1 से 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :- 30/10/2023

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2023/1730 दिनांक 25.10.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 17.10.2023 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में वकील वादी ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 21.09.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई।



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 705 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 708 रकबा 2.61 हैक्टर के मौके पर बहमराह पटवारी भूअभिलेख निरीक्षक के पहुंचा तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। नजरी नक्शा अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 708 में से बिन्दू संख्या A पर रकबा 1.72 हैक्टर व खसरा नम्बर 707 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा 1.73 हैक्टर पर अमरसिंह शंकरसिंह शैतानसिंह व सायरकंवर का जमाबंदी अनुसार शामलाती कब्जा काशत है। खसरा नम्बर 708 में से बिन्दू संख्या B पर रकबा 0.89 हैक्टर व खसरा नम्बर 705 रकबा 0.84 हैक्टर कुल रकबा 1.73 हैक्टर में करणसिंह गोपालसिंह मधुकंवर युवराजसिंह यशोदा कंवर योगेन्द्रसिंह का शामलाती कब्जा काशत है तथा तदनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 9 जोत विभाजन करवाना चाहते हैं। मौके पर उपस्थित पक्षकार/खातेदार का उपरोक्त नजरी नक्शानुसार कब्जा काशत है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 17.10.2023 का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन की सरहद में स्थित कृषि भूमि में निम्नवत टेबल अनुसार पक्षकारान को खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	नाम ग्राम	ख.नं.	रकबा	किस्म
1	अमरसिंह पुत्र धुंकलसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, शंकरसिंह पुत्र पेहपसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत, शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत, सायर कंवर पत्नि भंवरसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत	सीतापुर	708 A 707	1.72 0.01	बारानी 2 गै.मु.कुआ
2	करणसिंह पुत्र गुमानसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत हिस्सा आई सी आई सी बैंक लिमिटेड शाखा कुचामनसिटी के राहिन, मधुकंवर पुत्री भैरुसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत, नाबालिग युवराजसिंह पुत्र भैरुसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत, यशोदा कंवर पत्नि भैरुसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत, योगेन्द्रसिंह पुत्र भैरुसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत		708/B 705	0.89 0.84	बारानी 2 बारानी 2

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 17.10.2023 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/10/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(मनोज, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

बइजलास : मनोज, (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :- 264/2023 GCMS 2023/435

वादी :-

1. करणसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला-डीडवाना कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
2. मधुकंवर पुत्री भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
3. यशोदा कंवर पत्नी भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
4. योगेन्द्र सिंह पुत्र भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
5. युवराजसिंह राठौड़ पुत्र भैरुसिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती वली माता यशोदा कंवर निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
6. शंकरसिंह पुत्र पेहपसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
7. शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
8. सायर कंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
अमरसिंह पुत्र धुंकलसिंह जाति राजपूत फौत के विधिक वारिस
9. फतेहसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन।
दावा बाबत बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी
.. मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री शत्रुघन गौड़ अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन की सरहद में स्थित कृषि भूमि में निम्नवत टेबल अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	नाम ग्राम	ख.नं.	रकबा	किस्म
1	अमरसिंह पुत्र धुंकलसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, शंकरसिंह पुत्र पेहपसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत, शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत, सायर कंवर पत्नी भंवरसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत	सीतापुर	708 A 707	1.72 0.01	बारानी 2 गै.मु.कुआ
2	करणसिंह पुत्र गुमानसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत हिस्सा आई सी आई सी बैंक लिमिटेड शाखा कुचामनसिटी के राहिन, मधुकंवर पुत्री भैरुसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत, नाबालिग युवराजसिंह पुत्र भैरुसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत, यशोदा कंवर पत्नी भैरुसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत, योगेन्द्रसिंह पुत्र भैरुसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत		708/B 705	0.89 0.84	बारानी 2 बारानी 2

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 17.10.2023 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज मुबलिंग बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 10 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)



दस्तखत.....

उपखण्ड अधिकारी

कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रुपयें	पैसे	मुदायलय	रुपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना-कुचामन) राज.

क्रमांक/कोर्ट/2023/272

दिनांक:- 31-10-2023

प्रेषित :- 1. तहसीलदार, कुचामनसिटी

विषय :- राजस्व प्रकरण वाद सं. 264/2023 **GCMS 2023/435** करणसिंह बनाम गोपालसिंह वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

-x-x-x-x-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 264/2023 **GCMS 2023/435** करणसिंह बनाम गोपालसिंह वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सलंगन:-उपरोक्तानुसार।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

कार्यालय तहसीलदार (भू-अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू-अ. / 2023 / 1730

दिनांक :- 25-10-2023

प्रेषित -

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय - राजस्व प्रकरण वाद सं. 264/2023 करणसिंह बनाम गोपालसिंह वगैरह
में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत।

प्रसंग - श्रीमान के पत्रांक कोर्ट / 2023 / 196 दिनांक 21.09.2023 के संदर्भ में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद सं. 264/2023 करणसिंह बनाम गोपालसिंह वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू.अ.नि. मण्डावरा व पटवारी हल्का पलाडा की उपस्थिति में तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।


संलग्न - उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू-अ.) कुचामन सिटी

श्रीमान् महोदय साहब कुचापन सिटी के आदेश क्रमांक/अ.क्र. 19/19 दि. 03.10.2023 व माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचापन सिटी द्वारा राजस्व प्रकरण वाद क्र. 264/2023 जल्स 2023/435 करण सिंह बनाम गोपाल सिंह वगैरह में पारित प्राथमिक डिमी आदेश क्रमांक/कोर्ट/2023/196 दि. 21.9.2023 के मुताबिक बंटवारा सूची में तैयार करने हेतु आज दिनांक 17.10.2023 को ग्राम खीतापुर के ख.न-705 रकबा 0.84 है. किल्ला बरानी 2 ख.न-707 रकबा 0.01 है. किल्ला गै.पु. कुआ व ख.न-708 रकबा 2.61 है. किल्ला बरानी 2 के मौके पर पहुँचे वहाँ प्राचीन करण सिंह उपस्थित मिले प्राचीन के बताये अनुसार खातेदारों के कब्जा भारत का मजरी नक्शा निम्नागुता है



- उपर्युक्त नजरी नक्शा के संबंध में बिन्दुवार विवरण निम्नागुता है
- ① प्राचीन के मुताबिक ख.न-708 में से बिन्दु सं. A पर रकबा 1.72 है. व ख.न-707 रकबा 0.01 है. कुल रकबा 1.73 है. पर अमर सिंह, शंकर सिंह, शैतान सिंह व सामरबंवर का जमाबंदी रकबा हिस्सा अनुसार शामिल कब्जा भारत है
 - ② तथा ख.न-708 में से बिन्दु सं. B पर रकबा 0.89 है. व ख.न-705 रकबा 0.84 है. कुल रकबा 1.73 है. में करण सिंह, गोपाल सिंह, मधुबंवर, भुवराज सिंह, यशोदा देवर, भोगेन्द्र सिंह का जमाबंदी रकबा हिस्सा अनुसार शामिल कब्जा भारत है
- अतः मुताबिक आदेश मौका रिपोर्ट तैयार कर पढ़कर सुनाई गई व उपस्थित ने पद, पुन, लपसका हस्ताक्षर मिले,

①  अ.क्र.अ.क्र.अ.क्र. ①

② गोपाल सिंह

③ मूलाराम

④ राजवीर सिंह

⑤ मागीर धराम

⑥ शंकर सिंह

⑦ 17/10/23

⑧ 17.10.23

⑨ 17.10.23

⑩ 17.10.23

⑪ 17.10.23

⑫ 17.10.23

⑬ 17.10.23

⑭ 17.10.23

⑮ 17.10.23

⑯ 17.10.23

⑰ 17.10.23

⑱ 17.10.23

⑲ 17.10.23

⑳ 17.10.23

㉑ 17.10.23

㉒ 17.10.23

㉓ 17.10.23

㉔ 17.10.23

㉕ 17.10.23

㉖ 17.10.23

㉗ 17.10.23

㉘ 17.10.23

㉙ 17.10.23

㉚ 17.10.23

㉛ 17.10.23

㉜ 17.10.23

㉝ 17.10.23

㉞ 17.10.23

㉟ 17.10.23

㊱ 17.10.23

㊲ 17.10.23

㊳ 17.10.23

㊴ 17.10.23

㊵ 17.10.23

㊶ 17.10.23

㊷ 17.10.23

㊸ 17.10.23

㊹ 17.10.23

㊺ 17.10.23

㊻ 17.10.23

㊼ 17.10.23

㊽ 17.10.23

㊾ 17.10.23

㊿ 17.10.23

कहौतदार (म.अ.) कुचापन सिटी